**महत्वपूर्ण**

**संख्या-54/2023/3372/58-1-2023-54/2010/11/2022**

प्रेषक,

**अनामिका सिंह,**

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**समस्त मण्डलायुक्त**,

उत्तर प्रदेश।

**बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग** **लखनऊ :: दिनांक 10 नवम्बर, 2023**

**विषयः- आँगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में कन्वर्जेन्स विभागों के साथ मण्डलीय गोष्ठी आयोजित करने के सम्बन्ध में।**

**महोदय/महोदया,**

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 450/60-2-15-2/3(27)05 टी.सी., दिनांक 10.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपकी अध्यक्षता में मण्डलीय पोषण समिति गठित करते हुए विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा/अनुश्रवण करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त आदेश में मण्डल स्तर पर अनुश्रवण किए जाने वाले विषयों का उल्लेख भी किया गया है।

2- बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा पोषण, स्वास्थ्य एवं शालापूर्व शिक्षा सम्बंधी सेवाएं प्रदान किये जाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र एक महत्वपूर्ण इकाई है। इन केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं तथा किशोरियों को समुचित पोषण, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास के लिए विभाग द्वारा अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं संदर्भन सेवायें प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में विभाग में कुछ नए प्रयास भी जोड़े गए हैं, जैसे- ऑगनबाड़ी कायाकल्प, आँगनबाड़ी केन्द्रों में हॉट कुक्ड मील का संचालन, आंगनबाड़ी भर्ती इत्यादि। उक्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मण्डल स्तर पर कन्वर्जेन्स विभाग के अधिकारियों के साथ एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त गोष्ठी के सम्बन्ध में आपकी सुविधानुसार तिथि आदि पर समन्वय करते हुए अग्रिम तैयारी निदेशक, आईसीडीएस तथा मण्डलीय मुख्यालय जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जायेगी। उक्त गोष्ठी में उन्मुखीकरण एवं अनुश्रवण किये जाने हेतु सांकेतिक बिन्दुओं का विस्तृत विवरण संलग्न है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने कुशल निर्देशन में उपरोक्तानुसार एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन कराते हुए मण्डलीय पोषण

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समिति के माध्यम से संलग्न विवरण के अनुसार विभागीय योजनाओं का अनुश्रवण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः-यथोपरि।**

भवदीया,

**(अनामिका सिंह)**
सचिव।

संख्या-54/2023/3372(1)/58-1-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(महावीर प्रसाद गौतम)**
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-54/2023/3372/58-1-2023-54/2010/11/2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2023 का संलग्नक**

**आँगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में कन्वर्जेन्स विभागों के साथ मण्डलीय गोष्ठी आयोजित करने के सम्बन्ध में बिन्दु**

**1. आंगनवाड़ी कायाकल्प-** आँगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता के आधार पर 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा-स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण आदि से संतृप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शासनादेश संख्या-14/2023/368/58-1-2023-54/2010/11/2022. दिनांक 16 फरवरी 2023 निर्गत किया गया है, जिसके क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों की वॉश सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को नवीनीकृत एवं विस्तार प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध 18 आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं को ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर डाटाबेस तैयार किया गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के कायाकल्प की अवधारणा को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से प्रथम चरण में प्रदेश के प्रत्येक बाल विकास परियोजना में एक आंगनबाड़ी केन्द्र को लर्निंग लैब के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है, जिनकी संख्या 832 है। तत्पश्चात प्रदेश में वर्तमान में संचालित सभी 1,89,021 आंगनबाड़ी केन्द्रों को चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करते हुये कायाकल्पित किया जाना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों का कायाकल्प विभिन्न विभागों के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से जनपद स्तर पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों यथा विभिन्न ग्रामनिधियों, सी०एस०आर०, मिनरल फण्ड, विधायक निधि एवं सांसद निधि आदि द्वारा कराया जाना है।

**2. आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण एवं अपग्रेडेशन-** आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों हेतु संसाधनों की उपलब्धता के साथ बाल मैत्री भवन एवं आधारभूत संरचनाओं के निरन्तर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। प्रदेश में कुल संचालित 1,89,021 आंगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष 44,557 केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित हैं। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध बजट एवं जनपदों से भूमि सम्बन्धी प्रस्ताव की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कन्वर्जेन्स (ग्राम्य विकास, पंचायती राज, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार) के माध्यम से नियमित रूप से कराया जा रहा है।

विभागीय भवनों के सुदृढ़ीकरण यथा विद्युत, पेयजल एवं शौचालय हेतु भी जनपदों को समय-समय पर मांग के अनुरूप बजट आवंटन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त भवनों में अन्य अपग्रेडेशन कार्य यथा-छत, फर्श, दीवारों की मरम्मत आदि जैसे अपग्रेडेशन के कार्यों हेतु विभाग द्वारा जनपदों की मांग के अनुरूप प्रति भवन रु० 02.00 लाख की अधिकतम धनराशि आवंटित की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**3. शाला पूर्व शिक्षा**- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या-85/2022/4128/58-1-2022, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से बच्चों के लिये ई०सी०सी०ई० हेतु समय-सारणी निर्धारित है। शाला पूर्व शिक्षा के लिए अप्रैल से मार्च का शैक्षणिक सत्र निर्धारित किया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में पहल पुस्तिका, वार्षिक गतिविधि कलेण्डर, विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिये गतिविधि पुस्तिका, प्री स्कूल किट एवं एन०बी०टी० द्वारा प्रकाशित 6 कहानी की किताबों के सेट के साथ ही टी०एल०एम० पुस्तिका भी उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त शाला पूर्व शिक्षा को सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से विभिन्न ई-संसाधन यथा यू-ट्यूब चैनल (आई०सी०डी०एस०), बाल पिटारा एप तथा एक संग एप भी विकसित किये गये हैं। विभागीय अधिकारियों के निर्देशन में रिसोर्स मटेरियल का बेहतर उपयोग करते हुये शाला पूर्व शिक्षा को गति प्रदान की जानी है।

**3 (I) लर्निंग आउटकम्स-** बच्चों के आयु अनुसार लर्निंग आउटकम्स के आंकलन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किए जाने वाले सतत मूल्यांकन को त्रैमासिक रूप से रिकार्ड करने की शुरूआत बाल पिटारा एप के माध्यम से की गयी है। मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी को शिक्षक-अभिभावक बैठक (पी०टी०एम०) के अवसर (प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार) पर बच्चे के माता-पिता से साझा करते हुये आवश्यकतानुसार ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जिससे समय से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होने के साथ ही 'निपुण लक्ष्यों' को प्राप्त किया जा सके।

**3 (II) निपुण लक्ष्य**-शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अभीष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 5 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रारम्भिक साक्षरता एवं संख्या कौशल के लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित है।

**4. अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम** - शासनादेश संख्या-19/2020/2591/58-1-2020-2/ 1(116) 17टीसी-सी, दिनांक 01.10.2020 द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में लाभार्थियों हेतु अनुपूरक पुष्टाहार का उत्पादन व आपूर्ति उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग के उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूहों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों के माध्यम से पोषक तत्वों से युक्त रेसिपी बेस्ड अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति आंगनबाड़ी केन्द्र पर की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 43 जनपदों में 159 उत्पादन इकाईयाँ संचालित हैं।

शासन के पत्र संख्या-589/58-1-21-2/1(116)/17 टीसी-सी, दिनांक 09 मार्च, 2021 के क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जनपदों में रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार का उत्पादन एवं आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फोर्टिफाइड गेहूं दलिया, फोर्टिफाइड चावल, चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल ग्रामीण क्षेत्रों में

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परियोजना कार्यालय व शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त के क्रम में फोर्टिफाइड गेहूं दलिया, चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नैफेड व फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति/वितरण खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नैफेड द्वारा परियोजना कार्यालय पर आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात मैप्ड किए गए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पुष्टाहार का उठान परियोजना कार्यालय से करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्राप्त कराया जाता है, जहाँ से आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में पुष्टाहार वितरित किया जाता है। नैफेड द्वारा आपूर्तित अनुपूरक पुष्टाहार की रियल टाइम ट्रैकिंग आई०टी० पोर्टल के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

**5. आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की चयन प्रक्रिया-** विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या-19/2023/3975/58 -1-2022-2/1 (22)10टी. सी.-।, दिनांक 21 मार्च, 2023 द्वारा नवीन चयन प्रक्रिया प्रख्यापित की गई है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष एवं आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। उक्त शासनादेश के अनुरूप सर्वप्रथम 50 प्रतिशत रिक्तियों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन करके तथा शेष रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा रहा है।

**6. स्वास्थ्य जाँच एवं सैम बच्चों का चिकित्सीय एवं पोषण प्रबन्धन-** प्रत्येक ग्राम्य स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वी.एच.एस.एन.डी.) सत्र पर लाभार्थियों यथा- बच्चों एवं महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण एवं वृद्धि निगरानी करते हुए मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (एम.सी.पी. कार्ड) में विवरण दर्ज किया जाता है। सत्र पर पोषण से सम्बन्धित जोखिम एवं चुनौतियों वाले लाभार्थियों को ए.एन.एम द्वारा परामर्श एवं संदर्भन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सहयोग से किया जाता है। प्रत्येक सत्र पर पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श हेतु मातृ एवं शिशु पोषण कार्नर बनाये जाते हैं, जहाँ पोषण सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री, खाद्य पदार्थों आदि का प्रदर्शन कर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लाभार्थियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को पोषण सम्बन्धी परामर्श प्रदान किया जाता है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा 0 से 06 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर का चिन्हांकन करते हुये पोषण ट्रैकर एप पर ऑनलाइन फीडिंग किया जाता है तथा पोषण ट्रैकर एप पर प्रदर्शित सैम/मैम गम्भीर अल्प वजन बच्चों का पुनः वी.एच.एस.एन.डी. सत्र पर ए०एन०एम० द्वारा सत्यापन किया जाता है। सत्र पर ए०एन०एम० द्वारा सत्यापित सैम बच्चों को सैम प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती हेतु सन्दर्भित किया जाता है तथा ए०एन०एम० द्वारा सैम बच्चों को अनिवार्य रूप से ई-कवच पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने पर बल दिया जा रहा है। पोषण ट्रैकर एप तथा ई-कवच पोर्टल के

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

डैशबोर्ड का लॉगिन तथा पासवर्ड समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को परस्पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे उनके द्वारा जनपद स्तर पर सैम बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा सके।

**7. आंगनबाड़ी केन्द्रों के सतत् निरीक्षण हेतु सहयोग ऐप**- सहयोग ऐप के द्वारा पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जुडी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के कार्यों में गुणवत्ता वृद्धि सुनिश्चित करने, सलाह देने, कोचिंग प्रदान करने और प्रेरित करने में सहायक है, जिससे लाभार्थी की सेवाओं के उपभोग में वृद्धि और समग्र पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है। इस मोबाइल ऐप का उपयोग वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविका द्वारा किया जा रहा है। इस ऐप का उपयोग करते हुये अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों (जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी) एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों (खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी) द्वारा भी विभागीय योजनाओं का निरीक्षण किये जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न जनपदों द्वारा किए जा रहे विभिन्न अभिनव प्रयासों, कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों की प्रगति, आगामी रणनीतियों, विभिन्न चुनौतियों तथा अनुभवों को साझा करने से अभियान को बल मिलेगा, जिसके लिए आपकी अध्यक्षता में जनपदों के जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों सहित अन्य सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों तथा ब्लाक स्तरीय अधिकारियों की उक्त विषयक एक दिवसीय मण्डल स्तरीय गोष्ठी आयोजित किया जाएगा।

**8. मुख्य सेविकाओं का प्रशिक्षण**-भारत सरकार के सहयोग से निपसिड, लखनऊ में मुख्य सेविकाओं का मण्डलवार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मुख्य सेविकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों का कायाकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं, सहयोग एप, शाला पूर्व शिक्षा के साथ ही अन्य समस्त विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में उन्मुखीकरण कराया जा रहा है। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के निर्देशन में उक्त प्रशिक्षित मुख्य सेविकाओं (मास्टर ट्रेनर) के माध्यम से जनपद की अन्य मुख्य सेविकाओं एवं उनके क्षेत्रान्तर्गत फ्रन्ट लाइन वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का संचालन सम्भव हो सके।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in